नियम 45 : छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजे गए इनपुटों और पूंजी माल के संबंध में शर्तें और निर्बंधन

(1) इनपुटों, अर्ध परिरूपित माल या पूंजी माल, छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को प्रधान द्वारा जारी चालान के साथ भेजा जाएगा, जिसके अन्तर्गत ऐसी स्थिति भी है, जहां ऐसा माल किसी छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को सीधे भेजा जाता है [1][और जहां माल एक छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार से किसी दूसरे छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजा जाता है, वहां चालान, प्रधान या माल को किसी अन्य छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजने वाले छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा जारी किया जा सकेगा :

परन्तु प्रधान द्वारा जारी चालान को, उस दषा में, जहां माल एक छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा दूसरे छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजा जाता है या प्रधान को वापस भेजा जाता है, उसमें माल की मात्रा और विवरण उपदर्शित करते हुए पृष्ठांकित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा पृष्ठांकित चालान को, जहां माल एक छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा दूसरे छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजा जाता है या प्रधान को वापस भेजा जाता है, उसमें माल की मात्रा और विवरण उपदर्शित करते हुए पृष्ठांकित किया जाएगा**]**

(2) छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार के लिए प्रधान द्वारा जारी चालान में नियम 55 में विनिर्दिष्ट ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगें

(3) [2][विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान**]** किसी छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजे गए माल या छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार से प्राप्त माल [3][.....**]** के संबंध में चालानों के ब्यौरों को [4][उक्त अवधि से**]** उत्तरवर्ती मास के पच्चीसवें दिन पर [5][या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो आयुक्त द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विस्तारित की जाए**]** या पहले की अवधि के लिए दिए गए **प्ररूप जीएसटी आईटीसी–1** में सम्मिलित किया जाएगा :

परन्तु राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय–सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा;**]**

---

1 अधिसूचना क्रमांक 14/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2018 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.03.2018)।

2 अधिसूचना क्रमांक 35/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2021 द्वारा ''तिमाही के दौरान'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2021)।

3 अधिसूचना क्रमांक 74/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 31.12.2018 द्वारा शब्द ''या एक छुटपुट काम करने वाले से दूसरे को भेजा गया'' (sic या किसी छुटपुट कर्मकार किसी अन्य को भेजे गए) विलोपित (प्रभावशील दिनांक 31.12.2018)।

4 अधिसूचना क्रमांक 35/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2021 द्वारा ''तिमाही से'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2021)।

5 अधिसूचना क्रमांक 51/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.10.2017 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.10.2017)।

[6][**स्पष्टीकरण** – इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, ''विनिर्दिष्ट अवधि'' पद का अर्थ–,

(क) किसी मालिक के संबंध में, जिसका ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आवर्त पांच करोड़ रूपए से अधिक है, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को प्रारम्भ होने वाले छह क्रमवर्ती मासों की अवधि होगा; और

(ख) किसी अन्य मामले में वित्तीय वर्ष होगा।]

(4) जहां प्रधान को, धारा 143 में नियत समय के भीतर इनपुट या पूंजी माल वापस नहीं किया जाता है, यह समझा जाएगा कि ऐसे इनपुट या पूंजीमाल प्रधान द्वारा छुटपुट कर्मकार को, उस दिन पर जब उक्त इनपुट और पूंजीमाल भेजे गए, प्रदायित किए गये थे और उक्त प्रदाय **प्ररूप जीएसटीआर–01** में घोषित किया जाएगा और प्रधान कर के साथ लागू ब्याज के संदेय के लिए दायी होगा।

स्पष्टीकरण : इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,–

(1) ''पूंजी माल'' पद के अंतर्गत धारा 17 के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित ''संयंत्र और मशीनरी'' भी है;

(2) धारा 17 की उपधारा (3) में यथा निर्दिष्ट छूट प्राप्त प्रदाय के मूल्य के अवधारण के लिए,–

(क) भूमि और भवन के मूल्य को उसी रूप में लिया जाएगा, जैसे स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए अंगीकार किया गया है; और

(ख) प्रतिभूति के मूल्य को, ऐसी प्रतिभूति के विक्रय मूल्य के एक प्रतिशत के रूप में लिया जाएगा।

---

[6] अधिसूचना क्रमांक 35/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2021 द्वारा स्पष्टीकरण अंतः स्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2021)।